

राजस्थान – सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2021-22/2023/143

दिनांक : 22/08/2023

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० राजकुमार	01.05.1983	25.02.2015	फॉरेन्सिक मेडिसिन	01.12.22 से 30.11.25
2	डॉ० संदीप कुमार महला	14.05.1987	03.06.2016	रेडियोलॉजिस्ट	25.01.23 से 24.01.26
3	डॉ० परमानन्द अटल	16.12.1987	12.10.2015	फॉर्मिकॉलॉजी	14.12.22 से 13.12.25
4	डॉ० रीतिका	08.12.1994	15.10.2018	स्त्री एवं प्रसूति रोग	07.04.22 से 06.04.25
5	डॉ० रूपेश चौधरी	21.05.1998	24.08.2018	पीएमआर	15.11.22 से 14.11.25

झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० अंकुर कटेवा	23.12.1988	27.03.2015	पैथोलॉजी	31.07.20 से 30.07.23
2	डॉ० नवीन्द्र कुमार	01.05.1989	02.06.2016	निश्चेतन	08.04.22 से 07.04.25

जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० स्नेहा धाभाई	01.02.1987	12.08.2017	फिजियोलॉजी	09.12.22 से 08.12.25

जिला चिकित्सालय, जालोर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा (डीएनबी) कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० प्रमिला गहलोत	30.01.1989	16.10.2015	डीएनबी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	03.12.22 से 02.12.24

उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।
उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2021-22/2023/143

दिनांक : 22/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोनस।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
7. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
9. सम्बन्धित डिलिंग सहायक को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
10. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर